रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243768
CG-DL-E-21022023-243768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अन्य संबद्ध सदस्य) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । ।

2. आयोग के अन्य संबद्ध सदस्य.-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 2 के अधीन गठित आयोग उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के प्रयोजन के लिए अन्य संबद्ध सदस्यों के रूप में केवल आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित मंत्रालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार से नीचे के श्रेणी के न हो, को सहयोजित कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) भारी उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि ;

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधि ;

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनधि ;

(घ) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग का प्रतिनिधि ;

(ङ) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधि ;

(च) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रतिनिधि ;

(छ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिनिधि ;

(ज) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग का प्रतिनिधि ;

(झ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधि ।

[फा. सं. क्यू-15014/06/2022-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Other Associated Members of the Commission) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Other Associated Member of Commission.-

The Commission constituted under section 3 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), may co-opt a representative of the following Ministries not below the rank of Joint Secretary to the Government of India only on a need basis as other Associate Members for the purpose of clause (h) of sub-section (3) of section 3 of the said Act, namely:-

(a) a representative of the Ministry of Heavy Industries;

(b) a representative of the Ministry of New and Renewable Energy;

(c) a representative of the Ministry of Health and Family Welfare;

(d) a representative of the Department of Revenue, Ministry of Finance;

(e) a representative of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance;

(f) a representative of the Ministry of Earth Sciences;

(g) a representative of the Ministry of Science and Technology;

(h) a representative of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; and

(i) a representative of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

[F. No. Q-15014/06/2022-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.21 20:46:12 +05'30'